न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा0पत्र / 1 / 19

राज्य सरकार जरिये हब्बलसिंह, उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(पो.स.), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बयाना जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री ओमप्रकाश पुत्र वेदरिया, जाति बघेल, निवासी विधौली, तहसील खैरागढ़, जिला आगरा (उ.प्र)।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु
अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

उपस्थित

1. सरकार पैरोकार उपस्थित
2. आर.के.सिंह अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 14.08.2019

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट विरुद्व अप्रार्थी. इस आश्य का पेश किया गया कि दिनांक 11.12.2018 को प्रातः 9 बजे एक उर्वरक से भरी ट्रोली रूदावल की तरफ जाती हुई दिखी। ट्रोली को ब्रहम्बाद के पास पकडा गया और उर्वरक ले जाने के बारे में ट्रेक्टर ड्राईवर से पूछा गया। कार्यवाही के दौरान मेरे साथ श्री सुरेश चन्द कृषि अधिकारी(फसल) एवं उर्वरक निरीक्षक कार्यालय हाजा तथा श्री बन्नीसिंह कृषि पर्यवेक्षक मु0 नारौली निरीक्षण व सहयोग हेतु मौजूद रहे। ट्रैक्टर ट्राली मैसी डी.आई–241, रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी80–सीआर–0747 में भरे हुए 180 बैग यूरिया उत्तम ब्राण्ड का संदिग्ध अवस्था में राजस्थान से उत्तरप्रदेश की तरफ ले जाये जा रहे थे। मौके पर ट्रेक्टर ड्राईवर ओमप्रकाश पुत्र श्री वेदरिया जाति वघेल निवासी विधोली तहसील खैरागढ़,जिला आगरा के पास उर्वरक क्रय के कागजात और नाहीं ट्रेक्टर के

कागजात मिले। उर्वरक ले जाने के बारे में ट्रेक्टर ड्राईवर ने कोई सन्तोषजनक जबाब नही दिया। जिससे स्पष्ट हुआ कि उर्वरक के 180 बैग को अनाधिकृत रुप से कालाबजारी हेतु उत्तरप्रदेश ले जा रहा था। उर्वरक कृभको यूरिया की संदिग्ध स्थिति को मद्देनजर रखते हुये एफ.सी.ओ. 1985 के क्लॉज 3(3) एवं 5 की अवहेलना पाये जाने पर उक्त उर्वरक मय ट्रेक्टर ट्रोली को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 की धारा 28 (1)(डी) के तहत 180 बैग को यूरिया जप्त किया गया। थाना अधिकारी रूदावल को उक्त प्रकरण के संबध में एफ.आई. आर दर्ज कराई गई । जिसका नंम्बर 0497 दिनांक 12.12.2018 दर्ज की गई। जब्त 180 यूरिया बैग को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। सरकार पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। दानों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि दिनांक 11.12. 2018 को प्रातः 9 बजे एक उर्वरक से भरी ट्रेक्टर ट्रोली को ब्रहम्बाद के पास पकडा गया और ट्रेक्टर ट्रोली में उर्वरक भरा हुआ था, उर्वरक को ले जाने के बारे में ट्रेक्टर ड्राईवर से पूछा गया। ड्राईवर ने संतोषप्रद जबाब नहीं दे पाया। उर्वरक उत्तम ब्राण्ड का यूरिया संदिग्ध अवस्था में राजस्थान से उत्तर प्रदेश की तरफ कालाबाजारी हेतु ले जाने की आंशका होने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॅज 28(1)(कद्ध के अन्तर्गत जप्त किया गया। अप्रार्थी का कृत्य उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॅज 3(3) 7व8 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः मौके से जब्त उर्वरक 180 बैग यूरिया उत्तम ब्राण्ड को मैसर्स उत्तम कृषि सेवा केन्द्र, रूदावल के व्यवस्थापक श्री राजेश कुमार को सुपुर्द कर गोदाम में सुरक्षित रखने हेतु दिया गया। प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाकर जप्त उर्वरक 180 बैग यूरिया उत्तम ब्राण्ड एवं जप्त ट्रेक्टर ट्रोली को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अप्रार्थी दिनांक 11.12.2018 को कोर्ट तिराहा स्थित अपने भाई की दुकान पर खेती के कार्य से गया था वहॉ कुछ कृषकों ने बयाना से मेरे ट्रैक्टर ट्रोली से खाद लाने को कहा मैंने अपने ट्रेक्टर ट्रोली से बयाना स्थित गोदाम से यूरिया खाद लदवाकर भाड़े पर ले जा रहा था। योग्य अभिभाषक कथन है कि अप्रार्थी को कृषकों ने खाद के बिल नहीं दिये थे। रास्ते में जॉच के दौराने मेरे पास खाद के बिल वगैरा नहीं होने से कृषी विभाग अधिकारीयों ने अप्रार्थी के ट्रेक्टर ट्रोली एवं किसानों के खाद को जप्त कर लिया। जप्त किये गये खाद से अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी तो अपने ट्रेक्टर ट्रोली से भाड़े पर किसानों

द्वारा लादे गये खाद को ले जा रहा था। अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवनलोकन किया । उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थी ने ट्रेक्टर ट्रोली में राजस्थान से उत्तर प्रदेश की तरफ कालाबाजारी हेतु ले जाते हुये उर्वरक उत्तम ब्राण्ड का यूरिया जप्त किया गया है। अप्रार्थी का कथन है कि जप्त यूरिया खाद से उसका कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी ने अपने टैक्टर ट्रोली से कृषकों के खाद को भाड़े पर ले जाना बताया है। जप्त खाद के बाबत किसी भी कृषक वगेरा ने कोई उज्रदारी न्यायालय हाजा में पेश नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में जप्त किये गये उर्वरक 180 बैग यूरिया उत्तम ब्राण्ड को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मौक पर जप्त किये गये उर्वरक 180 बैग यूरिया उत्तम ब्राण्ड को राजसात (Confiscate) किया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (वि.) बयाना को निर्देशित किया जाता है कि जप्त किये गये उर्वरक 180 बैग यूरिया उत्तम ब्राण्ड को नियमानुसार कृषकों को कीमतन विक्रय कराया जावे तथा विक्रय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराया जाकर इस न्यायालय को अवगत करावें। जप्त टैक्टर ट्रोली को सुपुर्दगी से बागुजार किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ सहायक निदेशक कृषि (वि.) बयाना को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर